Member of Parliament Local Area Development Scheme

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली-110001

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAWAN, NEW DELHI-110001
FAX : 011-23364197
E-mail : mplads@nic.in

सं.सी-42/2011-एमपीलैड्स

Dated..... 14 सितंबर, 2012

सेवा में,

राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के नोडल सचिव
आयुक्त, नगर निगम, दिल्ली/कोलकाता/चेन्नई/मुंबई
सभी जिलों के कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त ।

विषय: एमपीलैड्स दिशानिर्देशों में संशोधन - 2% प्रशासनिक व्यय का उपयोग

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 8 अगस्त, 2011 के समसंख्यक पत्र के तहत इस मंत्रालय द्वारा जारी सुधार परिपत्र सं.7 का संदर्भ लें ।

2. सुधार परिपत्र जारी करने के अनुसरण में, विभिन्न राज्य सरकारों से यह सूचना प्रदान करते हुए अनुरोध प्राप्त हुए हैं कि संसद-सदस्य की अनुशंसाओं की प्रोसेसिंग/स्वीकृति को छोड़कर, राज्य स्तर पर इस योजना का कार्य-संचालन जिला स्तर पर कार्य-संचालन के लगभग समान है तथा राज्य स्तर पर स्टेशनरी, कार्यालय उपस्कर एवं कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर, आदि की आवश्यकता होती है । योजना की प्रभावी निगरानी के लिए राज्य नोडल विभाग को सक्षम बनाने हेतु, इसी प्रकार प्रशासनिक व्यय के उपयोग की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । इस मामले की तदनुसार जांच की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित दिशानिर्देशों के पैरा 4.17(II) (क) के साथ पठित सुधार परिपत्र के पैरा 3(क) का विस्तार किया जाए ताकि राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के नोडल विभाग 'प्रशासनिक व्यय' के तहत निम्नलिखित कार्यकलापों को शामिल कर सकें:-

(i) तीसरे पक्ष द्वारा निरीक्षण-वास्तविक लेखा परीक्षा और गुणवत्ता जांच, तथा

(ii) राज्य स्तर पर कार्यों की निगरानी,

(iii) हिन्दी को छोड़कर, संबंधित क्षेत्रीय भाषा में एमपीलैड्स दिशानिर्देशों का अनुवाद एवं मुद्रण (हिन्दी रूपांतर भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा) ।

(iv) आंकड़ा प्रविष्टि संबंधी कार्य करने, वेबसाइट पर आंकड़े अपलोड करने, इत्यादि के लिए सेवादाताओं/परामर्शकों को किराए पर लेना,

(v) जनता के बीच योजना के विषय में जागरूकता पैदा करना तथा चल रहे और पूरे हो चुके कार्यों की सूचना का प्रसार करना,

(vi) स्टेशनरी की खरीद,

(vii) एमपीलैड्स योजना/मॉनीटरिंग के लिए कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर सहित कार्यालय उपस्कर (लैपटॉप को छोड़कर),

(viii) टेलीफोन/फैक्स शुल्क, डाक शुल्क,

(ix) एमपीलैड्स कार्य निगरानी सॉफ्टवेयर और अन्य एमपीलैड्स पोर्टलों को कार्यशील बनाने के लिए किए गए व्यय ।

3. विभिन्न राज्य सरकारों के नोडल विभागों ने एमपीलैड्स के तहत पीओएल की अनुमति प्रदान करने का भी विचार व्यक्त किया है जिससे प्रभावी निरीक्षण किए जा सकें । इस मुद्दे की जांच भी की जा चुकी है तथा नोडल जिलों और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र नोडल विभागों, दोनों को प्रशासनिक व्ययों में से प्रतिवर्ष 50,000/-रु. (पचास हजार रुपए मात्र) तक, और उससे अधिक नहीं, पीओएल की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया गया है ताकि प्रभावी रूप से निरीक्षण किए जा सकें ।

4. एमपीलैड योजना के तहत एक वर्ष के दौरान किए गए ऐसे व्यय के लिए राज्य स्तर पर नोडल विभाग द्वारा, तथा नोडल जिले और कार्यान्वयन जिले द्वारा भी एक अलग बैंक खाता और कार्यालय रोकड़ पुस्तिका रखी जाएगी ।

5. इसे माननीय मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

भवदीय,

पंकज जैन

(पंकज जैन)
विशेष सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. सभी माननीय संसद सदस्य (लोक सभा/राज्य सभा)
2. एमपीलैड्स संबंधी राज्य सभा समिति, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली
3. एमपीलैड्स संबंधी लोक सभा समिति, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली
4. एमपीलैड्स प्रभाग के सभी संबंधित अधिकारी
5. एनआईसी को, एमपीलैड्स वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए ।